# आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023

**सन्दर्भ**: हाल ही में एनएसएसओ द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने प्रमाणिक श्रम बल डेटा प्रदान करने के लिए अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शुरू किया था।

**पीएलएफएस का लक्ष्य दो मुख्य उद्देश्य प्राप्त करना है:**

- 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (सीडब्ल्यूएस) के आधार पर शहरी क्षेत्रों के लिए प्रत्येक तीन महीने में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर का अनुमान लगाना।
- वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 'सामान्य स्थिति' और सीडब्ल्यूएस दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।
- अब तक पाँच वार्षिक रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं, जिनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है, यह विभिन्न रोज़गार और बेरोज़गारी मापदंडों का अनुमान प्रस्तुत करती हैं।
- ये रिपोर्ट विशिष्ट अवधियों के दौरान पीएलएफएस से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं: जुलाई 2017 - जून 2018, जुलाई 2018 - जून 2019, जुलाई 2019 - जून 2020, जुलाई 2020 - जून 2021, और जुलाई 2021 - जून 2022
- छठी वार्षिक रिपोर्ट पर अभी काम चल रहा है और इसे एनएसएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह जुलाई 2022 से जून 2023 तक आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित होगा।

**पीएलएफएस डेटा में देखे गए उल्लेखनीय रुझानों में शामिल हैं:**

- श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में लगातार वृद्धि।
- बेरोजगारी दर में लगातार कमी।

**नमूनाकरण विधि**

- जुलाई 2022 से जून 2023 तक आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के नमूना आकार में 12,714 एफएसयू शामिल थे, जिसमें 6,982 गांव और 5,732 शहरी ब्लॉक शामिल थे।
- सर्वेक्षण में 1,01,655 घरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 55,844 और शहरी क्षेत्रों में 45,811) और 4,19,512 व्यक्तियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 2,43,971 और शहरी क्षेत्रों में 1,75,541) को शामिल किया गया। (**ग्रामीण में अधिक और शहरी में कम**)
- सर्वेक्षण में शामिल लोगों में 3,20,260 व्यक्ति 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के थे (ग्रामीण क्षेत्रों में 1,81,049 और शहरी क्षेत्रों में 1,39,211)। (**ग्रामीण में अधिक और शहरी में कम**)

**पीएलएफएस में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक:**

- **श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):** जनसंख्या में उन व्यक्तियों का प्रतिशत जो श्रम बल में हैं (काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं)।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर):** जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत.
- **बेरोजगारी दर (यूआर):** श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत।

**स्थिति:**

- **सामान्य स्थिति**: इसे सर्वेक्षण से पिछले 365 दिनों की गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किया गया।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस):** सर्वेक्षण से पिछले 7 दिनों की गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किया गया।

**मुख्य निष्कर्ष**

- **श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) रुझान:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर 2017-18 में 50.7% से बढ़कर 2022-23 में 60.8% हो गया।
  - शहरी क्षेत्रों में, समान अवधि के दौरान समान जनसांख्यिकीय के लिए एलएफपीआर 47.6% से बढ़कर 50.4% हो गया।
  - भारत में पुरुषों के लिए, एलएफपीआर 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2022-23 में 78.5% हो गया।
  - महिलाओं के लिए, इसी अवधि में 23.3% से 37.0% की पर्याप्त वृद्धि हुई।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) रुझान:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए WPR 2017-18 में 48.1% से बढ़कर 2022-23 में 59.4% हो गया।
  - शहरी क्षेत्रों में, समान जनसांख्यिकीय के लिए WPR 43.9% से बढ़कर 47.7% हो गया।
  - भारत में पुरुषों के लिए WPR 2017-18 में 71.2% से बढ़कर 2022-23 में 76.0% हो गया।
  - महिलाओं के लिए, इसी अवधि में WPR 22.0% से बढ़कर 35.9% हो गया।
- **बेरोजगारी दर (यूआर) रुझान:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यूआर में कमी आई है यह 2017-18 में 5.3% से 2022-23 में 2.4% होई गया है।
  - शहरी क्षेत्रों में, समान जनसांख्यिकीय के लिए यूआर 7.7% से घटकर 5.4% हो गया।
  - भारत में पुरुषों का यूआर 2017-18 में 6.1% से घटकर 2022-23 में 3.3% हो गया।
  - महिलाओं के लिए, इसी अवधि में यूआर 5.6% से घटकर 2.9% हो गया।

# आम चुनाव

**सन्दर्भ:** चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव कराने को अंतिम रूप दे दिया है।

**भारत में चुनाव की विशेषताएं**

- भारत के संविधान के भाग XV के अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनावों की निगरानी का विशेष अधिकार चुनाव आयोग (ईसी) में निहित है।
- भारत को भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व संसदीय और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए एक सदस्य द्वारा किया जाता है।
- मतदान की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकता है, गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, आपराधिक गतिविधि या भ्रष्ट आचरण जैसे कारणों से अयोग्य समझे गए व्यक्तियों को छोड़कर।
- संसद के पास मतदाता सूची के निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और संबंधित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कानून पारित करने का अधिकार है।
- संविधान न्यायपालिका को चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने से रोकता है, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन या सीट आवंटन से संबंधित कानूनों को चुनौतियों से बचाता है।
- भारत लोकसभा और राज्य विधान सभा चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को लागू करता है, जहां निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं।

**मतदान की प्रणाली**

- सार्वभौमिक वयस्क (18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक) मताधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है, जो सभी के लिए समान मतदान अधिकार सुनिश्चित करता है।
- इलेक्टोरल रौल (Electoral Roll), जिसे मतदाता सूची के रूप में भी जाना जाता है, जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के बावजूद, सभी योग्य मतदाताओं को शामिल करने के लिए संकलित की जाती है।
- चुनाव से पहले, नागरिक मतदाता सूची में अपने विवरण की समीक्षा और सुधार कर सकते हैं, जिससे उन्हें वोट देने का अधिकार सुनिश्चित हो सके।
- चुनाव के दिन, नागरिक प्रतिनिधियों को चुनने में समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, इस सूची के आधार पर अपना वोट डालते हैं।
- सरकार नियमित रूप से मतदाता सूची को अद्यतन करती है, पात्र मतदाताओं को जोड़ती है और जो नहीं हैं या जिनकी मृत्यु हो गयी है उन्हें हटा देती है।
- सटीकता और समावेशिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक पांच साल में मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण किया जाता है।

**चुनाव सम्बन्धी कुछ प्रावधान**

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950
- मतदाताओं के लिए पात्रता मानदंड का निर्धारण
- मतदाता सूची संकलित करने की प्रक्रिया
- निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन
- संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों में सीट आवंटन
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
- चुनाव प्रबंधन के लिए प्रशासनिक ढांचा
- चुनाव से संबंधित अपराध
- चुनावी विवादों का समाधान
- उपचुनाव कराना
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण

**चुनाव कार्यतंत्र**

- भारत में चुनावों की देखरेख एक शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था द्वारा की जाती है जिसे भारत का चुनाव आयोग कहा जाता है।
- चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्वायत्तता प्राप्त है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन नियुक्ति के बाद वह राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है।
- चुनाव आयोग को सरकार या सत्तारूढ़ दलों के प्रभाव के बिना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को चुनाव आयोग द्वारा नामित किया जाता है और वह किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर विधानसभा और संसद चुनावों के लिए चुनाव संबंधी कार्यों की निगरानी करता है।
- जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समग्र नियंत्रण के तहत एक जिले में चुनाव गतिविधियों की देखरेख करते हैं।
- रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करते हैं।
- चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों की सहायता से, मतदान केंद्रों का प्रबंधन करते हैं।
- वैधानिक प्राधिकार के तहत चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निगरानी करते हैं और सीधे आयोग को रिपोर्ट करते हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

10 October, 2023

## भारत-इज़राइल संबंध

**सन्दर्भ:** हमास द्वारा इज़राइल पर इस सप्ताहांत में हमला शुरू करने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्षता की किसी भी उपस्थिति को त्यागते हुए, स्पष्ट रूप से इज़राइल के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया।

**राजनयिक सन्दर्भ**

- भारत ने आधिकारिक तौर पर 1950 में इज़राइल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए।
- दिसंबर 2020 तक, भारत इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 164 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से एक था।

**आर्थिक एवं वाणिज्यिक**

- भारत और इज़राइल के बीच व्यापार COVID-19 से पहले 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जनवरी 2023 तक लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% हीरों में होता है।
- भारत एशिया में इज़राइल का तीसरा और विश्व स्तर पर सातवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- इजरायली कंपनियों ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है और कई अनुसंधान एवं विकास केंद्र तथा उत्पादन इकाइयां स्थापित कर रही हैं।
- वर्तमान में भारत इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता कर रहा है।

**रक्षा**

- भारत इज़राइल से हथियारों का एक महत्वपूर्ण आयातक है, जो इज़राइल के वार्षिक हथियार निर्यात का लगभग 40% हिस्सा है।
- भारतीय सशस्त्र बल इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हैं, जिनमें AWACS, ड्रोन, मिसाइल-विरोधी रक्षा प्रणाली और विमान-रोधी मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
- परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में दस साल का रोडमैप बनाने के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर 15वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

**कृषि**

- मई 2021 में कृषि सहयोग के लिए तीन वर्षीय कार्य कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- कार्यक्रम का उद्देश्य उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का विस्तार करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

**विज्ञान प्रौद्योगिकी**

- इज़राइल के स्टार्ट-अप नेशनल सेंट्रल और भारतीय उद्यमिता केंद्रों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- शिक्षा जगत और व्यवसायों की बढ़ती भागीदारी के साथ, भारत - इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और इनोवेशन फंड (I4F) का विस्तार किया गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और आईसीटी जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- I4F भारतीय और इज़राइली कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है।

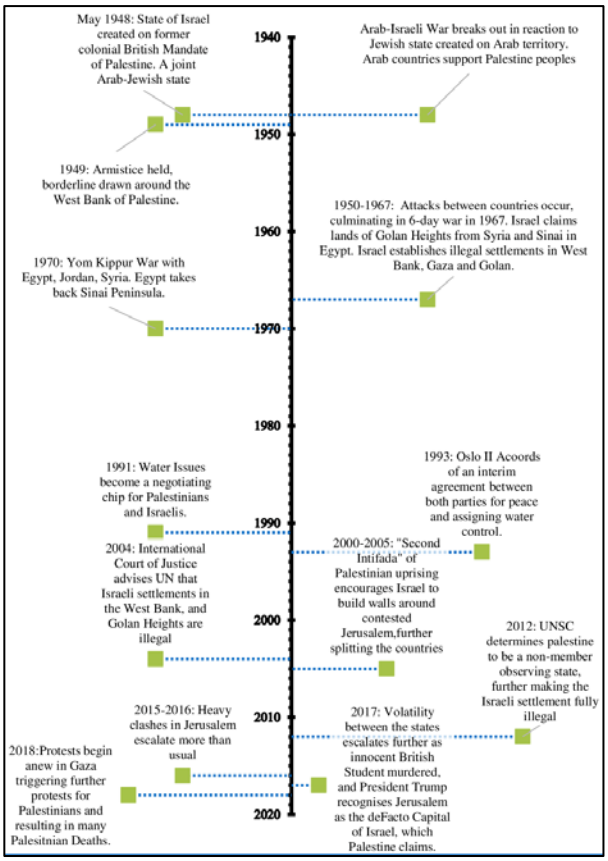


**अन्य**

- नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा पहल में सहयोग बढ़ाने के लिए इज़राइल भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल हो रहा है।

## NEWS IN BETWEEN THE LINES

### उडानगुडी पनागरुपट्टी

तमिलनाडु के **उडानगुडी पनागरुपट्टी** (पाम गुड़) को हाल ही में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है।

**के बारे में:**

- यह गुड़ आधुनिक तकनीकों या एडिटिव्स (मिलावट) से बचते हुए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाया जाता है।
- कम भूजल और शुष्क जलवायु वाली क्षेत्र की लाल रेतीली मिट्टी, उच्च सुक्रोज सामग्री के कारण गुड़ को एक विशिष्ट स्वाद प्रदान करती है।
- क्षेत्र की शुष्क जलवायु इस ताड़ के गुड़ के दीर्घकालिक भंडारण के लिए आदर्श है।
- इसके उत्पादन में ट्रिपल सुपर फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड जैसे किसी भी रासायनिक योजक का उपयोग नहीं किया जाता है।

**भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के बारे में:**

- जीआई टैग यह दर्शाता है कि किसी उत्पाद के अद्वितीय गुण या प्रतिष्ठा एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं।
- जीआई टैग का उपयोग कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मादक पेय पदार्थों, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है।
- भारत की वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999, जीआई पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करता है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

## भूरिया समिति

भूरिया समिति ने 1995 में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं थीं।

**भूरिया समिति के बारे में:**

- भूरिया समिति भारत में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामने आने वाले मुद्दों की जांच के लिए स्थापित एक सरकार द्वारा नियुक्त समिति थी।
- समिति के कार्यों में एक व्यापक जनजातीय नीति बनाना ,अनुसूचित जनजातीयों के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करना और जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थानों के समान संरचनाएं विकसित' करना शामिल था।
- श्री दिलीप सिंह भूरिया ने भूरिया समिति का नेतृत्व किया, जिसने जनवरी 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

**पेसा अधिनियम, 1996 के बारे में:**

- भूरिया समिति के सुझावों के कारण पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) लागू हुआ।
- इसने विशिष्ट संशोधनों के साथ पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया।
- इस अधिनियम का उद्देश्य बहुसंख्यक आदिवासी आबादी को स्व-शासन प्रदान करना है।

## राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके), भारत में किशोर स्वास्थ्य पर केंद्रित एक सरकारी नीति है।

**के बारे में:**

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) शुरू किया गया था।
- कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों के व्यापक विकास को सुविधाजनक बनाना है।
- यह किशोरों को 10-19 आयु वर्ग के व्यक्तियों ( लडके/लड़की दोनों को ) के रूप में परिभाषित करता है, इसमें वैवाहिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और शैक्षिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र लिंग निरपेक्ष रूप से शामिल हैं।
- **यह छह विषयगत क्षेत्रों को संबोधित करता है:** पोषण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, और चोटें और हिंसा।
- यह कार्यक्रम देश भर में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कों और लड़कियों एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों को आयरन और फोलिक एसिड की खुराक प्रदान करता है।
- यह 10-19 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की खरीद के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को धन आवंटित करता है।

## गरुंबटिटन मोरेलेंसिस

हाल ही में, स्पेन में वैज्ञानिकों ने गरुंबटिटन मोरेलेंसिस नामक एक विशाल लंबी गर्दन वाले डायनासोर की खोज की है।

**गरुंबटिटन मोरेलेंसिस के बारे में:**

- गरुंबटिटन मोरेलेंसिस टाइटेनोसौर प्रजाति ( Titanosaur species) से संबंधित है, जो सॉरोपोड्स (**sauropods**)का एक उपसमूह है।
- यह लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना का कारण बनने वाले क्षुद्रग्रह प्रभाव से बचने के लिए टाइटेनोसॉर सॉरोपोड्स का एकमात्र वंश था।
- ये जीवाश्म लगभग 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले, लोअर क्रेटेशियस काल के हैं।

**टाइटेनोसॉर ( Titanosaur) के बारे में:**

- टाइटेनोसॉर जुरासिक युग (लगभग 163.5 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व) से लेकर क्रेटेशियस काल के अंत (लगभग 145 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व) तक जीवित रहे।
- टाइटेनोसॉर के जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए गए हैं, जिनमें लगभग 40 प्रजातियाँ शामिल हैं।
- टाइटेनोसॉर में अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थलीय जानवर शामिल थे, जिनमें से कुछ आधुनिक व्हेल के आकार के थे।
- टाइटेनोसॉर लंबी गर्दन, पूंछ और छोटे सिर वाले शाकाहारी चार पादपों वाले जीव थे।

## समाचारों में स्थान

## पुराक्वेक्वारा झील

हाल ही में, अमेज़ॅनस में पुराक्वेक्वारा झील (Lake **Puraquequara** ), जो कभी पानी से भरपूर थी, कीचड़ में में परिवर्तित हो गई है, जो एक गंभीर स्थिति का संकेत है।

**अवस्थिति :** पुराक्वेक्वारा झील अमेज़ॅन नदी बेसिन में स्थित है।

**कारण:** झील के सूखने का कारण अमेज़ॅन नदी बेसिन में गंभीर सूखा है, जो अल नीनो और उत्तरी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर के पानी के गर्म होने से उत्पन्न हुआ है।

**जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन का जलना इन जलवायु घटनाओं को बढ़ा देता है, जिससे क्षेत्र और अधिक प्रभावित होता है।

**अमेज़न नदी बेसिन के बारे में:**

- अमेज़ॅन नदी बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है।
- यह दक्षिण अमेरिका के लगभग 34% भूभाग पर फैला हुआ है।
- यह बेसिन दुनिया के लगभग 60% वर्षावनों का घर है और ग्रह के लगभग 10% ज्ञात जीवन रूपों का समर्थन करता है।
- **कवर किए गए देश:** अमेज़ॅन नदी बेसिन ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला सहित कई देशों में विस्तृत है।
- यह ब्राजील में भूमध्य रेखा और मकर रेखा को पार करता है।

## समाचारों में व्यक्तित्व

## जी.एन.रामचंद्रन

**जी.एन.रामचंद्रन (1922-2001)**

डॉ. गोपालसमुद्रम नारायण रामचन्द्रन उर्फ **जी.एन.आर.** का जन्म भारत के एर्नाकुलम में हुआ था और वे एक केरल ब्राह्मण परिवार से आते थे।

**योगदान:**

- एक्स-रे विवर्तन का उपयोग करते हुए, उन्होंने गोपीनाथ कार्था के साथ, 1954 में कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल संरचना का प्रस्ताव रखा, जिसने वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया।
- जी.एन.आर. ने गोपीनाथ कार्था के साथ मिलकर कोलेजन की संरचना को जानने के लिए 'मद्रास ट्रिपल हेलिक्स मॉडल' का प्रस्ताव रखा।
- उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में आणविक जीव विज्ञान में एक शोध विद्यालय की स्थापना की।

**पुरस्कार और सम्मान**:

- उन्हें 1961 में भारत में भौतिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वह लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो बन गए।
- 1999 में, क्रिस्टलोग्राफी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी द्वारा इवाल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- प्रोटीन संरचना और कार्य में उनके मौलिक योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।

**विरासत :**

- जी.एन.आर. की विरासत में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, नेतृत्व और आणविक जीव विज्ञान अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान शामिल है।

## POINTS TO PONDER

- **हमास किस क्षेत्र से संचालित होता है?** - गाज़ा पट्टी
- **वाई नदी (Wye River) ज्ञापन किससे संबंधित है?** - इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष
- **अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, 2023 किसने जीता है?** - क्लाउडिया गोल्डिन (Claudia Goldin)
- **अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और पुलिसिंग सम्मेलन, कॉकॉन के 16वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी?** - केरल
- **तेज़, किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट कुइपर किस कंपनी का है?** - अमेज़न